

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति फागी, जयपुर -

Email:- aen.phagi@hotmail.com

Phone- 01430-282894

क्रमांक:- एफ () मजसा / निविदा / 2017-18 /

दिनांक:-

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना 01/2017-18

राजस्थान राज्यपाल महोदय की ओर से पंचायत समिति फागी में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (द्वितीय चरण) के फार्म पोण्ड/खेत तलाई कार्यो के निर्माण हेतु वार्षिक दर अनुबंध करने के लिए मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के जो निविदा प्रपत्र में अंकित हैं के लिए उपयुक्त श्रेणी के राजस्थान / केन्द्र सरकार, में पंजिकृत संवेदको से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। समस्त निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने एवं अपलोड करने की दिनांक 08.06.2017 प्रातः 9:00 बजे से 14.06.2017 सायं 6:00 बजे तक। डी.डी. एवं अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की दिनांक 15.06.2017 अपराहन 1:00 बजे तक और ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक 15.06.2017 अपराहन 3:00 बजे से होगी।

| निविदा क्रमांक | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाखों में) | धरोहर राशि (रुपयों में) |
|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | फार्म पोण्ड/खेत तलाई निर्माण | 9.92 | 19840 |

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.WaterShed.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

UBN-(WSCI718WSR00188)


-sd-
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
प.स. फागी, जयपुर

क्रमांक :- एफ () मजसा / निविदा / 2017-18 / 1010-1014

दिनांक :- 06/06/2017

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् आयुक्त, आयुक्तालय ज.प्र.वि.एवं भू-संरक्षण, पंत कृषि भवन को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
2. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का नियमानुसार न्यूनतम साइज में एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेंटर, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आपका प्रतिनिधि नियुक्त करें।
4. सहायक लेखा अधिकारी पं.स. फागी।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/पं.स फागी।


अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
प.स. फागी, जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
- पंचायत समिति फागी, जयपुर

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 01/2017-18

निविदा शर्तें

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी जो कि परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी, आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14 पं० सो फागी के नाम देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड करके भरने की अवधि दिनांक 08.06.2017 को प्रातः 9:00 बजे से 14.06.2017 को सायं 6:00 बजे तक होगी।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति फागी के कार्यालय में दिनांक 15.06.2017 को अपराह्न 1:00 बजे तक निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा कराना होगा:-
 - (अ) धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस का डी.डी./बैंकर्स चैक।
 - (ब) राजकीय विभाग में सम्बंधित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक का पंजियन प्रमाण पत्र।
 - (स) पेन कार्ड की प्रति।
 - (द) टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट अद्यतन की प्रति।
 - (य) निविदा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।
 - (र) संवेदक द्वारा एस.आ. प्रारूप 11- निविदादाता द्वारा घोषणा की हस्ताक्षरित प्रति।
4. निविदा दाता द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 में अंकित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने आवश्यक होंगे।
5. (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 14.06.2017 को सायं 6:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। एवं प्राप्त निविदाएँ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 15.06.2017 को अपराह्न 3.00 बजे से खोली जावेगी।
 - (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
 - (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सभी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस में शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
6. कार्य क्षेत्र पंचायत समिति फागी का मुख्यमंत्री जल स्वयंसेवक अभियान द्वितीय चरण में स्वीकृत क्षेत्र होगा।
7. अधिकृत निविदा प्रपत्र का निरीक्षण इस-कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 08.06.2017 से 14.06.2017 को सायं 6.00 बजे तक कार्य दिवसों में किया जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदा कर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की यात्रता, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण नियम शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।
8. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बंधि व उनके प्रति/पत्नि) कार्य से सम्बंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण फागी से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर तथा इस कार्यालय में पद स्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
9. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों के रूप कार्य नहीं कर सकेगा। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कसने से पहले अथवा संवेदक के यहा सेवाए लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबंध रद्द किया जा सकेगा।

10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित है।
 11. फार्म पोण्ड/खेत तलाई निर्माण कार्य हेतु निविदा शुल्क 500 रुपये एवं धरोहर राशि 2 प्रतिशत का डी0डी0/बैंकर्स चैक परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी, आई.डब्ल्यू.एम.पी.-14 पं0 स0 फागी के नाम देय होगा।
 12. फार्म पोण्ड/खेत तलाई निर्माण कार्य हेतु प्रोसेसिंग फीस रू0 500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डी0डी0)/बैंकर्स चैक (बी.सी.) Managing Director RISL Jaipur, payable at jaipur के पक्ष में निविदा शुल्क के साथ जमा करना होगा।
 13. जिस फर्म की दरें वार्षिक दर अनुबंध हेतु स्वीकृत की जावेंगी उसके नियमानुसार नॉन ज्यूडीशियल स्वाम्य पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में तीन दिवस में कार्य सम्पादन हेतु अनुबंध करना होगा, जिसका व्यय सम्बंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा एवं अनुमानित लागत की राशि 8 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (Security Deposit) तीन दिवस में जमा करानी होगी। संवेदक को कार्य आदेश के जारी दिनांक के तीन दिवस में कार्य मौके पर प्रारम्भ करना आवश्यक होगा। कार्य को दिनांक 30.06.2017 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।
 14. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेंगी।
 15. फर्म अपनी निविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लेट पर नहीं देगा)।
 16. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 17. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) किया जावेगा।
 - (अ) जब निविदा/सविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हों।
 - (स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा।
 इस सम्बंध में केंता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
 18. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
 19. कार्यों के क्रियान्वयन हेतु लेआउट की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिये संवेदक को दक्ष अभियन्ता रखना होगा।
 20. कार्यों का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।
 21. संवेदक को कार्य स्थल पर कार्य की समस्त सूचनाओं का डिस्पले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्य शुरू होने से पूर्व की, प्रगतिरत कार्य की एवं कार्य पूर्ण उपरान्त की फोटोग्राफ तीन प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना संवेदक की जिम्मेदारी होगी।
 22. सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु जारी किये गये कार्य आदेश में उल्लेखित कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि में कार्य का निष्पादन संवेदक द्वारा नहीं किया जाता है तो निम्नानुसार पैनल्टी देय होगी।
 - (1) (क) विहित कार्य पूर्णता अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2%
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए 5 %
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7½ %
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 %
 - (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
 - (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
 - (4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायुगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न
- कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (5) यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से पूरे कारणों से हुई हो

- तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
23. कराये गये सभी कार्यों के कार्य पूर्णता के पश्चात दो वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, जिसके लिये भुगतान राशि में से 10 प्रतिशत धरोहर राशि काटी जावेगी।
 24. कार्यों के सूचारु क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।
 25. संवेदक द्वारा वी.एस.आर. दर/अनुमानित दर से 10 प्रतिशत से भी कम दर प्रस्तुत की जाती है तो उनमें सफल बोलीदाता से अन्तर राशि की (10 प्रतिशत कम दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जायेगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी होगी व कार्य पूर्ण होने के पश्चात लौटोई जायेगी।
 26. आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
 27. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
 28. संवेदक को श्रम रेगुलेशन एवं एबोलिशन एक्ट 1970 एवं 1971 की पालना करनी होगी।
 29. निविदा प्रपत्र में दी गई दरों में रोयल्टी एवं अन्य समस्त कर शामिल हैं।
 30. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं अधिनियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
 31. ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश-
 - (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।
 - (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रॉनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु क्राम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (द) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ सलग्न कर दी गयी है।
 - (स) कोई भी टेन्डर निर्धारित समय अनुसार ऑनलाइन जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
 - (र) टेन्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप भर कर ऑनलाइन दर्ज करें।
 32. मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत निर्बन्ध राशि मद से किये जाने वाले कार्यों का 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान ग्रामस्तरीय समिति की अनुशंसा के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
 33. काश्तकार की निजी भूमि पर किये जाने वाले कार्यों पर निर्धारित कृषक अंशदान की राशि कृषक से प्राप्त होने पर ही कार्य करवाया जायेगा। बिना कृषक अंशदान प्राप्त किये कृषकों की निजी भूमि पर कराये गए कार्यों का भुगतान नियमानुसार कृषक अंशदान की राशि काटकर ही संवेदक को किया जावेगा।
 34. संवेदक को अपनी दरें प्रस्तुत करने से पूर्व परियोजना क्षेत्र/कार्यस्थल का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
 35. मृदा कार्यों में किये जाने वाले प्रोक्टर घनत्व जांच के लिये आवश्यक उपकरण कार्य स्थल पर संवेदक को रखना अनिवार्य होगा।
- में निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मानने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर संवेदक मय सील
मोबाईल न0

निविदादाताओं द्वारा घोषणा
[देखिए नियम 48 (vii)]

मैं /हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफ़ाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समपद्धत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Office Executive Engineer WD & SC
P. S. Phagi, District Jaipur
G-Schedule.

Name of Work: Construction of farm ponds / khat talai in arable land, p.s. phagi

1 Estimated Cost Rs. 992000.00
 2 Earnest Money @ 2% Rs. 19840.00
 3 Tender Cost Rs. 500.00

4 Date of Selling - 08-06-2017
 5 Date of Opening - 15-06-2017

| S.No. | Item | Quantity | Unit | Rate | Amount |
|-------|--|----------|------|-------|------------------|
| 1 | Dag belling 5 to 7.5cm deep (Gkn 6 अ) | 710.00 | Mtr | 1.18 | 837.80 |
| 3 | Excavation including, loading, unloading, disposal and dressing of excavated earth within intial lead of 50 mtr and lift up to 1.5 mtr in dry or moist including dressing of excavated area, dewatering wherever required complete in all respect in hard soil. (WRD BSR part A 1 b) | 14941.25 | Cum | | |
| a | 65% hard / dense soil (WRD BSR 2014 part A 1 b) | 9711.80 | Cum | 59.00 | 572996.20 |
| b | 35% Hard soil mixed with Kankar/ boulders, Murram (WRD BSR 2014 part A 1c) | 5229.45 | Cum | 74.00 | 386979.30 |
| 3 | Add extra Lift for disposal of excavated material above initial lift of 1.5m (WRD BSR 2014) | 4482.40 | Cum | 7.00 | 31376.80 |
| | Subtotal | | | | 992190.10 |